राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–81 (लो0सू0अ0)/2023–24
श्री उमेश कुमार, ग्रा.–रहुई बाजार, था.–रहुई, जिला–नालन्दा
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
25.09.2023	श्री उमेश कुमार, ग्रा.–रहुई ब्राजार, था.–रहुई, जिला–नालन्दा के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–16.09.2023 इस कार्यालय में दिनांक–22.09.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 441101 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री उमेश कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–16.08.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना अप्राप्त होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उमेश कुमार उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–16.08.2023 की प्रति भी संलग्न है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–16.08.2023 से संबंधित अभिलेख/प्रतिवेदन की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–12.10.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 25/9/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

ज्ञापांक- 1498/रा0स0(III) दिनांक- 26-09-2023

प्रतिलिपिः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री उमेश कुमार, ग्रा.-रहुई बाजार, था.-रहुई, जिला-नालन्दा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/9/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

अपील वाद संख्या–81 (लो०सू०अ०)/2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
12.10.2023	दिनांक-25.09.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्री उमेश कुमार से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक-16.08.2023 को अपने पत्रांक-164 दिनांक-13.09.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रपत्र 'ड.' में लोक सूचना पदाधिकारी बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को भेज दिया है तथा इसकी प्रति अपीलार्थी श्री कुमार को भी दी गयी है। चूंकि मांगी गयी सूचना ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना से संबंधित थी। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के विरूद्ध उक्त विश्वविद्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकर के समक्ष ही प्रथम अपील दायर किया जा सकता है न की राज्यपाल या कुलाधिपति सचिवालय में। अपीलार्थी ने इस प्रकार गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष यह प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता ~~सकता~~ है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 12/10/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **-सह-** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**

ज्ञापांक- 1586/रा०स०(III)   दिनांक- 13-10-2023

प्रतिलिपि-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/ श्री उमेश कुमार, ग्रा.-रहुई बाजार, था.-रहुई, जिला-नालन्दा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/10/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी